

प्रेषक,
डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ०प्र०, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 19 मार्च, 2019

विषय: राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स०पी० के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै० सुधीर कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 21 मार्च, 2019 से 01 अप्रैल, 2019 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 05 दिनों को सम्मिलित करते हुए) तक मेसर्स सी०ए०ई०, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-37/ना०उ०नि०/आप्स-19/2016, दिनांक 11 मार्च, 2019 में किए गए प्रस्तावानुसार कै० सुधीर कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को निम्नलिखित तालिकानुसार राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स०पी० के सिमुलेटर पर सी०ए०ई०, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में रिकरेन्ट ट्रेनिंग दी जानी है :-

क्र०सं०	पायलट	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण शुल्क
1	कै० सुधीर कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग)	23 मार्च, 2019 से 29 मार्च, 2019	सी०ए०ई०, दुबई	13,44,000/-

उक्त तालिकानुसार कै० सुधीर कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु सी०ए०ई०, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु सी०ए०ई०, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी को कै० सुधीर कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 16800 यू०एस० डॉलर (05 प्रतिशत वैट की धनराशि सम्मिलित करते हुए) रू० 80/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू० 13,44,000/- (रूपए तेरह लाख चौवालीस हजार मात्र) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू० 3,94,200/- (रूपए तीन लाख चौरानबे हजार दो सौ मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू० 17,38,200/- (रूपए सत्रह लाख अड़तीस हजार दो सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जानी है। अतः श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2018-19 में कै० सुधीर कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रशिक्षण को सी०ए०ई०, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में कराए जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू० 13,44,000/- (रूपए तेरह लाख चौवालीस हजार मात्र) तथा विदेश यात्रा व्यय एवं वायुयान किराया आदि पर होने वाले व्यय रूपये 3,94,200/- (रूपए तीन लाख चौरानबे हजार दो सौ मात्र) अर्थात् कुल रूपये रू० 17,38,200/- (रूपए सत्रह लाख अड़तीस हजार दो सौ मात्र) के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि को प्रशिक्षण प्राप्त करने के सी0ए0ई0, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।
- 3- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।
- 4- सी0ए0ई0, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी को तत्समय के विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जाएगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 5- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय के दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।
- 7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या :ई-7-242/दस-2019 दिनांक 18 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- 9- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या-34/2019/617(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

- 1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- 6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 7- सम्बन्धित पायलट।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।